न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

केम्प–उज्जैन (म0 प्र0)

R 4376 – PBR/16

वेलजी पिता नाथा डिंडोर भील
उम्र – 70 वर्ष, धंधा – कृषि
निवासी – ग्राम कांचला तह0 सैलाना जिला रतलाम ––– प्रार्थी

विरूद्ध

मांगु पिता मेहजी निनामा भील
उम्र – 50 वर्ष, धंधा – चौकीदार
निवासी – ग्राम कांचला तह0 सैलाना जिला रतलाम ––– प्रतिप्रार्थी

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959</u>

निगरानी बनाराजगी आदेश दिनांक 06–06–2014 जो तहसीलदार महोदय सेलाना के द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 38 अ 12/14 में पारित करते हुवे सीमांकन करने बाबत् जारी किया गयां। आदेश के विपरीत मौके पर बगेर राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में पटवारी के द्वारा सीमांकन किया गया, से व्यथित होकर।

23-12-16

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी विरूद्ध प्रतिप्रार्थी निम्नानुसार निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है :–

1-2-17

–: <u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कांचला तह0 सैलाना जिला रतलाम में प्रतिप्रार्थी के नाम की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 77 रकबा 0.300 हेक्टेयर की स्थित है। उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06–06–2014 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय सैलाना के समक्ष प्रस्तुत कियां, जिस पर दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4376–पीबीआर/16 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 6.6.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.12.2016 को लगभग 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अवधि विधान की धारा 5 में विलम्ब का कारण बीमार होना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	